हर वार्ड में 49 हैंड स्प्रे मशीनों से छिड़क रहे हैं कीटनाशक

वार्ड 1 से 5 तक में सुबह 6 से 10 बजे तक तथा वार्ड 6 से 10 तक में शाम 6 से 10 बजे तक छिड़काव

भास्कर संवाददाता | रतलाम

डेंगू और मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने बड़े पैमाने पर कीटनाशक दवा छिड़काव का अभियान चलाया है। इसमें हर वार्ड में एक साथ 49 हैंड स्प्रे मशीनों से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। सोमवार को वार्ड 1 से 5 तक में सुबह 6 से 10 बजे तक तथा वार्ड 6 से 10 तक में शाम 6 से रात 10 बजे तक कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया पहले चरण में पांच दिन में सारे वार्ड निपट जाएगा। इसके बाद इस क्रम को फिर से दोहराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी सुबह और शाम नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होंगे। दवाई लेकर वाहन से वार्ड में जाकर छिड़काव करेंगे। मॉनिटरिंग प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल करेंगे। सोमवार को हुए छिड़काव में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान आदि उपस्थित रहे। भास्कर

हैंड स्प्रे मशीनों के साथ कर्मचारियों को रवाना करते कमिश्नर झारिया।

पहले चरण का कार्यक्रम

19 अक्टूबर - वार्ड 11 से 15 में सुबह 6 से 10 बजे तक, वार्ड 16 से 20 बजे तक शाम 6 से रात 10 बजे तक

20 अक्टूबर - वार्ड 21 से 25 तक सुबह 6 से 10 बजे तक, वार्ड 26 से 30 में शाम 6 से रात 10 बजे तक

21 अक्टूबर - वार्ड 31 से 35 तक में सुबह 6 से 10 बजे तक, वार्ड 36 से 40 तक में शाम 6 से रात 10 बजे तक

22 अक्टूबर - वार्ड 41 से 45 तक में सुबह 6 से 10 बजे तक, वार्ड 46 से 49 तक में शाम 6 से रात 10 बजे तक

अभियान के पहले ही दिन सोमवार को पांच कर्मचारी कर्तव्य स्थल पर नहीं पहुंचे। इस पर आयुक्त झारिया ने सभी का एक दिन का वेतन काटा है। इसके अलावा सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्रवाई अर्जुन राजेंद्र, कन्हैया कमल, राकेश रामप्रसाद, रोहित प्रभुदयाल, राजेंद्र फतरोड़ शामिल हैं।

दै. भास्कर 19/10/21

जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र निर्माण का काम लगभग पूरा

रतलाम। नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे लगभग 3 लाख रूपए की लागत से केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निर्माण को गति देकर कार्य समाप्ति की अवस्था पर ला दिया गया है। बंध्याकरण केंद्रों पर शहर के आवारा श्वान लाए जाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रेबीज की बीमारी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा, साथ ही डॉग बाइट पर रेबीज बीमारी की संभावना भी नहीं रहेगी।

कलेक्टर द्वारा रतलाम शहर में आवारा श्वानो द्वारा काटने के संदर्भ में समीक्षा करते हुए कहा कि रतलाम शहर डाग बाइट के मामले में प्रदेश मे द्वितीय स्थान पर है। शहर में 1700 व्यक्तियों को श्वानों द्वारा काटा जा चुका है जो चिन्तनीय है। नगर निगम इस मामले में शीघ्र एक्शन ले। आवारा श्वानों की धरपकड करे। इस कार्य में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करे। बंध्याकरण केंद्र पर वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रुप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 आवारा श्वान है। नगर निगम ने टेंडर जारी किया है, टेंडर में 5000 श्वान का बंध्याकरण कार्य टेंडर लेने वाली फर्मों द्वारा किया जाएगा। बंध्याकरण केंद्र पर श्वानों को रखने के लिए 12 कॉटेज बनाए गए हैं जहां श्वानों के लिए खाने तथा पानी की व्यवस्था है, हवा के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। नवभारत

नवभारत 19/10/21

शिकायतकर्ता ने कहा कि नगर सुधार न्यास योजना पर अतिक्रमण

अर्जुननगर योजना को लेकर सीएम को भेजी शिकायत

पत्रिका

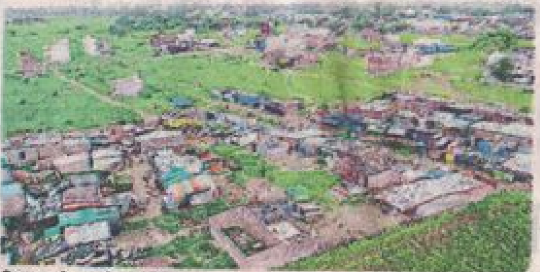

रतलाम. शहर के अर्जुन नगर में नगर सुधार न्यास की योजना क्रमांक 67 में तत्कालीन कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियम विरुध्द आवंटित अस्थायी पट्टों को निरस्त करने की मांग करते हुए इन पट्टों को आड़ में किए गए व्यापक स्तर पर निर्मित कालोनी का अतिक्रमण हटाए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को की गई है।

शिकायतकर्ता एडवोकेट अमित कुमार पांचाल ने शिकायत में बताया कि बीस सूत्रीय योजना के तहत नगर सुधार न्यास, रतलाम (वर्तमान में नगर पालिक निगम रतलाम) ने रतलाम शहर के वर्तमान वार्ड 27 दिलीप नगर रतलाम के पास अर्जुन नगर नामक कालोनी का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रस्तावित अर्जुन नगर कालोनी में 4071 आवासीय भूखंडों का विकास किया जाना था। योजना की पूरी जमीन इस समय अतिक्रमण का शिकार है। शिकायत में कहा गया कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, इनके इंजीनियर्स, विकास शाखा प्रभारी व विकास शाखा प्रभारी के अन्य संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों, वार्ड पार्षद, जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों ने षडयंत्र कर उन्हें योजना 67 अर्जुन नगर के उन भूखंडों पर काबिज कराया है जो शिकायतकर्ता सहित उक्त योजना का लाभ लेने वाले अन्य भूखण्डधारियों से बड़ी राशि लेकर उन्हें आवंटित किए जा चुके हैं। अतिक्रमणकारियों को सड़क- पानी- बिजली, धार्मिक स्थल जैसी वे सभी सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य कालोनी के निवासियों को भी उपलब्ध नहीं होती हैं।

पैक्ट फाइल

अर्जुन नगर में कुल भूखंड होना थे - 1000

500 ईडब्ल्यूएस भूखंडों के लिए राशि - **33 रुपए वर्गमीटर**

300 एलआईजी भूखंडों के राशि **- 55 रुपए प्रति वर्गमीटर**

एमआईजी भूखंडों तय किए गए थे - 75

आवासीय भूखंडों की अनुमानित राशि - **191.63 लाख रुपए**

क्षेत्रफल

49.25 हैक्टेयर

पत्रिका 19/10/21

रेजीडेंसी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी सड़क को अमले ने किया तोड़ना शुरू

रतलाम ● सैलाना रोड रेलवे ऊपरी पुल के समीप बनी द्वारका रेजीडेंसी को लेकर नगर में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। आज तक इस संबंध में प्रशासन का कोई स्पष्टीकरण नजर नहीं आया, लेकिन रेजीडेंसी क्षेत्र में बनी सीमेंट कांक्रीट की सड़क को नगर निगम तथा राजस्व विभाग के अमले ने तोड़ना शुरू कर दिया है। सरकारी अमले के साथ ही जेसीबी मशीनें इस कार्य में लगी हुई है। बताया गया है कि यह सड़क सरकारी भूमि पर बनी हुई है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। इस संबंध में संबंधित को नोटिस भी दिया जा चुका है।

प्रशासन ने इस संबंध में कोई अधिकृत विज्ञप्ति जारी नहीं की है। जिले में व्यापक पैमाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बिना अनुमति के निर्माण को हटाने की मुहिम चला रखी है, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को रिक्त करने में प्रशासन को सफलता प्राप्त हुई है। अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि जिन लोगों ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य तो किया लेकिन जिन लोगों की शह या अनुमति से यह निर्माण कार्य हुआ उन पर क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य को हटा दिए जाने से जो लोग प्रभावित हुए है, जिन्होंने बिना पड़ताल के या तो किराये पर दुकानें ली या दुकानें खरीदी उनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। जावरा,ढोढर में ऐसे प्रभावित लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी फरियाद भी की है। स्वदेश

स्वदेश 19/10/21

सरकारी जमीन पर बनाई सीसी रोड़, प्रशासन की चली जेसीबी

प्रसारण न्यूज • रतलाम

सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाकर और नियम विरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सडक को उखाडने के लिए नगर निगम की जेसीबी सहित इंजीनियर की टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है।

गौरतलब है कि राममंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में नोटिस देने के बाद मुद्दा चर्चा का विषय बना था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए।

द्वारा रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने नोटिस के बाद जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व के अवकाश के बाद नियम विपरित सरकारी जमीन पर बनाई सीमेंट कांक्रीट सडक को उखाडने के लिए सुबह से जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब द्वारा रेजीडेंस में निर्माणाधीन बिल्डिंग के अलावा जारी अनुमतियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रसारण 19/10/21

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर डागा ने हजारों लोगों के आवास से जुड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठाया

निराकरण के लिए मुख्यमंत्री,नगरीय प्रशासन मंत्री,सांसद व विधायक को लिखा पत्र

रतलाम। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है। इसमें विभाजित या टुकड़ों के प्लाट और उस पर बने मकानों की लीज अवधी नहीं बढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने और उक्त प्लाटों पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से परेशान शहर और प्रदेश के हजारों परिवारों की गंभीर समस्या का निराकरण की मांग की है।

पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने बताया कि वर्तमान में शासन के नियम (मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरणनियम, 2016) के कारण रतलाम शहर सहित प्रदेश में टुकड़ों के प्लाट पर नामांतरण नहीं हो रहे है और न ही निर्माण की अनुमति मिल रही है।

संपत्ति खरीदने के बाद हजारो शहरवासी परेशान-श्री डागा ने बताया कि टुकड़े के प्लाट की लीज नहीं बढाई जा रही है। इससे हजारों परिवार की संपत्ति पर संकट के बादल छा गए हैइनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार है, जिन्होने जिंदगी भर की कमाई से अपने छोटे से घर का सपना पूरा किया और अब लीज नहीं बढने, नामांतरण नहीं होने और निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से एक तरह से उनकी संपत्ति शुन्य जैसी हो गई है। लीज अवधि नहीं बढ़ने से वे अब संपत्ति विक्रय भी नहीं कर पा रहे है । रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारो की संख्या हजारों में है,जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या उस पर बने मकान खरीदे थे। अपने जीवन भर की पूंजी देकर अपने घर का सपना पूरा करने वाले इन परिवारों को उस समय इस नियम की जानकारी नहीं थी।आज यह सभी परिवार संकट में आ गए हैं और निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैनामांतरण नहीं होने और लीज नहीं बढ़ने से ऐसी संपत्ति पर आवश्यकता होने पर बैंक लोन भी नहीं मिल पा रहा है।

आवास योजनाएं सवालों के घेरे में -श्री डागा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की संवेदनशील भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार पत्र दे रही हैसभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही हैऐसे में पूर्व में इस नियम की जानकारी नहीं होने के चलते टुकड़ों के प्लाट पर बने मकान खरीदने वाले और परिवार की संपत्ति के बंटवारे में विभाजित हुए प्लाट पर बने मकान में रहने वाले हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी हैक्योकि इससे सारी योजनाओ पर सवाल खड़े हो रहे है। श्री डागा ने पत्र में सुझाव दिया है कि नई कालोनियां एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लाट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है,लेकिन जिन्होंने इस नियम के सख्ती से लागू होने से पूर्व मकान खरीदे हैं व बँटवारा हुआ है उनके लिए नामांतरण, लीज बढने और भवन निर्माण की अनुमति में छूट मिलना चाहिएउन्होंने पत्र में कहा कि इस नियम के कारण नामांतरण नहीं होने, लीज नहीं बढने, भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं होने से निकायों को राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए नगर निगम चुनाव के पूर्व हजारों लोगों और परिवार और से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इन्दौर समाचार 19/10/21

विभाजित भूखंडों पर निर्माण, नामांतरण की अनुमति दी जाए

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। विभाजित या टुकड़ों के प्लाट और उस पर बने मकानों की लीज अवधि नहीं बढ़ाने, नामांतरण व भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से शहर और प्रदेश के हजारों परिवार परेशान हैं। इस समस्या के निराकरण की मांग करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है।

पूर्व महापौर डागा ने बताया कि वर्तमान में शासन के नियम (मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरणनियम, 2016) के कारण विभाजित प्लाट पर नामांतरण, निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे प्लाट मालिकों में अधिकांश मध्यमवर्गीय और

सबको आवस देने की योजना पर सवाल

डागा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार पत्र दे रही है। ऐसे में प्रभावित हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। नई कालोनियां एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लाट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है।

संपत्ति शून्य जैसी हो गई है। रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारो की संख्या हजारों में है, जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या

नईदुनिया 19/10/21

ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह फज्र की नमाज के पश्चात ही समाज जन अपने अपने घरों में दरूद फातिहा के साथ कुरान की तिलावत करेंगे और झंडे फहरा कर मिठाई के रूप में तबर्रुक तक्सीम करेंगे। चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार भी पिछले 2 वर्षों की तरह सीरत कमेटी के तत्वाधान में निकाला जाने वाला जुलूस निरस्त कर दिया गया है।

जुलूस को लेकर सोमवार तक प्रदेश शासन से किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई जिस कारण जिला प्रशासन ने भी जुलूस निकालने की अनुमति शहर में प्रदान नहीं की। काज़ी कार्उंसिल मध्य प्रदेश के समस्त क़ाज़ी साहेबान ने अपने-अपने शहरों में ईद मिलादुन्नबी कोरोनावायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए जाने का निर्णय लिया है और प्रदेश के समस्त शहरों में निकले जाने वाले जुलूस वा जलसे निरस्त कर दिए गए हैं और ईद मिलादुन्नबी का पर्व शहरवासी अपने अपने मोहल्लें में ही मनाएंगे।चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने मिलादुन्नबी के अंवसर पर कोरोनावायरस की गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की इस कारण काजी कार्उंसिल के सभी मेंबर ने अपने-अपने शहरों में निकले जाने वाले जुलूस को स्थगित कर दिया है और यह निर्णय लिया है कि कल सभी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस अपने घर और मोहल्लें में रहकर ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर और मास्क लगाकर मनाएंगे किसी भी प्रकार का सामूहिक जश्न व लंगर इस बार भी स्थगित रहेगा जिन क्षेत्रों में तकरीर का आयोजन किया जा रहा था वह कल समाप्त हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अंवसर पर समाज के युवा मानव सेवा समिति में जाकर रक्तदान करेंगे और सभी नमाजो में कोरोना के संपूर्ण खात्मे के लिए दुआ की जाएगी। चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने समाज जनों को इत्तिला दी है की अफवाहें पर ध्यान ना दें किसी भी प्रकार के जुलूस की जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश के किसी भी शहर मेंकोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

इसलिए किसी भी प्रकार का कोई विधि विरुद्ध कार्य ना करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो और उत्साह का त्यौहार मनाने में बाधा उत्पन्न हो।

प्रसारण

प्रसारण 19/10/21

पत्रिका 19/10/21

कब्जा कर बनाई सड़क को उखाड़ा : द्वारका रेसीडेंसी के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का पंजा

कोर्ट के आदेश पर द्वारका के कब्जे से सरकारी भू

मनमर्जी का निर्माण

द्वारका रेसीडेंसी का गड़बड़झाला

रतलाम. शहर के सैलाना रोड पर महाराणा प्रताप ओवर ब्रिज के पास अतिक्रमण कर शासकीय जमीन पर बनाई गई सीमेंट कांक्रीट सड़क पर सोमवार की सुबह प्रशासन का पंजा चल ही गया। नगर निगम की जेसीबी और हेमर गैंग ने सड़क को नेस्तानाबूद कर दिया। अब माना जा रहा है कि रेसीडेंसी की कुंडली खंगालकर उस पर भी हथौड़ा चलाने की अंदरुरनी कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण कर बनाई गई सड़क को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया और निगम के इंजीनियर, निगम अमला मौजूद रहा। द्वारका रेसीडेंसी के सामने अतिक्रमण कर करीब 15 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर बनाई गई सीमेंट कांक्रीट की सड़क तोड़ने निगम अमला पहुंचा तो ब्रिज से गुजरने वाला हर कोई नजारा देखने के लिए रुक गया। पूरी तैयारी के साथ निमग अमले ने यहां कार्रवाई शुरू की तो पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई जिससे ला एंड आर्डर की स्थिति निर्मित नहीं हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और निगम अमले ने पूरे काम को आसानी से अंजाम दे दिया।

इस तरह बड़ी कार्रवाई, पांच घंटे तक हर नजर लगी रही

ऐसे की शुरूआत...कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए नगर निगम अमला सोमवार सुबह द्वारका रेसीडेंसी परिसर पहुंचा। सबसे पहले निगम के तकनीकी दल ने पूर्व में चिहिन्त सरकारी भूमि का कार्रवाई पूर्व सत्यापन किया।

ऐसे तोड़ने की कार्रवाई... सबकुछ जांच अनुसार पाए जाने के बाद निगम की अतिक्रमण विरोधी गैंग को आगे किया गया। एक जेसीबी के साथ 8 श्रमिक लगाए गए। ब्रिज के पास से जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे पर बनी सड़क उखाड़ी।

ऐसे चली पूरी प्रक्रिया... निगमायुक्त सोमनाथ झारिया की निगरानी में 5 इंजीनियर मौके पर तैनात रहे। करीब 22 लोगों का अमला 5 घंटे से तक 15 हजार वर्ग फीट के कब्जे वाली सीसी सड़क को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा रहा।

द्वारका रेसीडेंसी की गड़बड़ियों पर पत्रिका ने पहले दिन से ही नजर रखते हुए उसकी हर गड़बड़ियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया

पत्रिका

पत्रिका की

खबरों का असर

आखिरकार द्वारका के कब्जे प
शहर के सबसे व्यस्त रोड से स
रेसीडेंसी तक पहुंचने का एकम
बनाया गया था। मामले में
जांच कमेटी बनी तो
मामला न्यायालय
बिल्डर जितेन्द्र न
कलेक्टर कोर्ट ने
की कब्जाई सरक
रेसीडेंसी निर्माण की
दौरान पदस्थ रहे अफसरों की
हो रहा है, जल्द ही नगर निगम
पूरे मामले को लेकर पत्रिका ने
सामने आए हर तथ्य से पाठकों
को लेकर मुखरता से आवाज उ

निगम वसूलेगा कार्रव

सीमेंट कांक्रीट सड़क को कलेक
के निर्देश के अनुसार नगर निगम
कार्रवाई की। निगम की तरफ से
निकले मलबे को उठाने के लिए
झारिया ने बताया कि अतिक्रमण
के तहत नगर निगम बिल्डर जित
मान से राशि वसूल करेगा। राशि
तरफ से सूचना पत्र भी जारी कर

निगम प्रशासक के नि

द्वारका रेसीडेंसी के मालि
कर बनाई गई सीमेंट कांक्र
कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के नि
हटाने के लिए लगाए गए निगम
मालिक से 15 हजार रुपए प्रति

\- **सोमनाथ झारिया**, निगम आ

श्वानों की धरपकड़ में बाधा बनने वालों पर होगी कार्रवाई

शहर में पांच हजार श्वानों का होगा बधियाकरण

जुलवानिया में श्वान बधियाकरण केंद्र निर्माण का काम हुआ लगभग पूरा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में आवारा श्वानों को लेकर जल्द ही इनके बंध्याकरण काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए जुलवानियां में श्वान बंध्याकरण केंद्र भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आवारा श्वानों के आमजन को कांटे जाने के मामले में रतलाम प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। यहां पर अब तक 1700 लोग श्वान के हमले में घायल हो चुके है। कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह जल्द ही आवारा श्वानों की धरपकड कर उनका बंध्याकरण कार्य करें। इस कार्य में यदि कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करें।

नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे लगभग 3 लाख रुपए की लागत से केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर निर्माण को गति देकर कार्य समाप्ति की ओर है। बंध्याकरण केंद्र पर शहर के आवारा श्वानों को लाया जाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रेबीज की बीमारी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा, साथ ही डॉग बाइट पर रेबीज बीमारी की संभावना भी नहीं रहेगी। पत्रिका

शुरू हुआ प्रोजेक्ट

बंध्याकरण केंद्र पर वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रूप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 आवारा श्वान है। नगर निगम ने टेंडर जारी किया है, टेंडर में 5000 श्वान का बंध्याकरण कार्य टेंडर लेने वाली फर्मों द्वारा किया जाएगा। बंध्याकरण केंद्र पर श्वानों को रखने के लिए 12 कॉटेज बनाए गए हैं, जहां श्वानों के लिए खाने तथा पानी की व्यवस्था है, हवा के लिए पंखे भी लगाए गए हैं।

पत्रिका 19/10/21

सात दिन में जारी होगी जिले की अवैध कालोनियों की सूची

प्लाट खरीदने वाला होगा जिम्मेदार, नालों पर बने निर्माण भी तोड़े जाएंगे

द्वारका रेसीडेंसी के आगे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई सड़क निगम अमले ने तोड़ दी। • नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में आम नागरिकों के लिए पूरे जिले की अवैध कालोनियों की जानकारी प्रकाशित कर दी जाए। फिर यदि कोई प्लाट खरीदता तो वही जिम्मेदार होगा।

कलेक्टर ने कहा कि शहर में कई शासकीय नालों पर अतिक्रमण कर निर्माण किए गए हैं। इस कारण जलनिकासी बाधित होती है। गत दिनों अतिवृष्टि के दौरान कई जगह जलभराव हो गया। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए शासकीय नालों से अतिक्रमण हटाया जाए। नाले पर अतिक्रमण वाले स्थानों को चिह्नित करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक समिति गठित की गई है जो राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके का परीक्षण कर अवैध निर्माण चिह्नित करके 10 दिन में रिपोर्ट देगी।

समिति में एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी तथा नायब तहसीलदार मनोज चौहान शामिल हैं। आयुक्त नगर निगम समिति को आवश्यक सहयोग देंगे।

द्वारका रेसीडेंसी की आगे की शासकीय भूमि पर बनी सड़क तोड़ी

सैलाना रोड ओवर ब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी में आगे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित की गई सीमेंट कांक्रीट सड़क को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम के लोक निर्माण अमले द्वारा तोड़ा गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में सोमवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम अमले ने एक बड़ी व एक छोटी जेसीबी मशीन से सड़क तोड़ना शुरू की गई। दोपहर करीब तीन बजे तक कार्रवाई चली। आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण तोड़ने में हुए खर्च की वसूली संबंधित से 15 हजार रुपये प्रतिघंटे के मान से की जाएगी।

अनुमति निरस्ती के लिए भी 15 दिन में करना है कार्रवाई

मालूम हो कि द्वारका रेसीडेंसी में आगे की भूमि को सड़क बताने के मामले में कलेक्टर ने 11 अक्टूबर को जारी आदेश में नगर निगम आयुक्त व सहायक संचालक नगर व ग्राम निवेश विभाग को विधि अनुसार परीक्षण कर भवन निर्माण अनुमति निरस्त कर 15 दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। इस पर भी दोनों विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। 28 अगस्त को प्रशासन ने द्वारका रेसीडेंसी के आगे की 15276 वर्गफीट भूमि फेंसिंग कर सुरक्षित की थी, जिसका बाजार मूल्य तीन करोड़ से अधिक है।

नईदुनिया। 19/10/21

बिल्डर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी सीसी रोड, प्रशासन की चली जेसीबी

स्वतंत्र समय

स्वतंत्र समय, रतलाम। सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाकर और नियम विरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सडक़ को उखाडऩे के लिए नगर निगम की जेसीबी सहित इंजीनियर की टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है।

गौरतलब है कि राममंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में नोटिस देने के बाद मुद्दा चर्चा का विषय बना था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारा रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने नोटिस के बाद जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व के अवकाश के बाद नियम विपरित सरकारी जमीन पर बनाई सीमेंट कांक्रीट सडक़ को उखाडऩे के लिए सुबह से जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब द्वारा रेजीडेंस में निर्माणाधीन बिल्डिंग के अलावा जारी अनुमतियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्वतंत्र समय 19/10/21

अवैध रोड़ निर्माण पर प्रशासन ने की तोड़ने की कार्रवाई

रतलाम। द्वारका रेसिडेंसी मामले में आखिर प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। लंबे समय से द्वारका रेसिडेंसी के अवैध निर्माण को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी था। जिसके बाद सोमवार को शासकीय जमीन पर बिना अनुमति बनाए गए सीसी रोड को तोड़ने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की।

प्रशासन के अनुसार द्वारका रेसिडेंसी के बिल्डर ने बिना अनुमति शासन की 15 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर सीसी रोड का पक्का निर्माण कर लिया था। जिस पर कार्रवाई करने प्रशासन और निगम की टीम द्वारका रेजिडेंसी पहुंची है। दरअसल राम मंदिर क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेसिडेंसी को लेकर शिकायत की जांच के दौरान सामने आया था कि बिल्डर ने बिना अनुमति शासकीय जमीन पर सीसी रोड निर्माण किया है। जिसे आम रास्ता बता कर टीएनसीपी से बिल्डिंग परमिशन भी ली गई थी। प्रशासन और नगर निगम ने शासकीय जमीन का सीमांकन कर सीसी रोड पर जालिया लगा दी थी जिसके बाद अब नगर निगम की टीम अवैध सड़क के निर्माण को तोड़ने पहुंची है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार करीब 15 हजार स्क्वायर फीट की शासकीय जमीन पर बिना अनुमति 8 हजार स्क्वायर फीट की सीमेंट कंक्रीट सड़क अवैध तरीके से बनाई गई है। बहरहाल इस बहुचर्चित मामले में आखिर प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है। प्रशासन द्वारा की जा रही इस बड़ी कार्रवाई के लिए नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचे हैं। जहां तीन जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई।

नवभारत

नवभारत 19/10/21

ईद मिलादुन्नबी आज, नहीं निकलेगा जुलूस

शहरवासी अपने-अपने मोहल्लों में पर्व मनाएंगे, कुरआन ख्वानी के बाद तबर्रुक बंटेगा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मुस्लिम समाजजन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी को मंगलवार को हर्षोल्लास से मनाएगा। घरों पर झंडे फहराने के साथ ही मिठाई के रूप में तबर्रुक तक्सीम करेंगे। यह दूसरा साल है जब कोरोना महामारी के चलते सीरत कमेटी के तत्वावधान में निकाले जाने वाला जुलूस निरस्त रहेगा। पर्व को लेकर शहर की सभी मसजिदों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है।

मंगलवार सुबह फजर की नमाज के बाद ही समाजजन अपने-अपने घरों में दरूद फातेहा के साथ कुरआन की तिलावत करेंगे और झंडे फहरा कर मिठाई के रूप में तबर्रुक तक्सीम करेंगे। काजी काउंसिल मप्र के सभी काजी साहेबान ने अपने-अपने शहरों में ईद मिलादुन्नबी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाए जाने का निर्णय लिया है और प्रदेश के सभी शहरों में निकाले जाने वाले जुलूस व जलसे को निरस्त कर दिए हैं। ईद मिलादुन्नबी का पर्व शहरवासी अपने-अपने मोहल्लों में ही मनाएंगे। किसी भी प्रकार का सामूहिक जश्न व लंगर इस बार भी स्थगित रहेगा। इस दौरान समाज के युवा मानव सेवा समिति में जाकर रक्तदान करेंगे और सभी नमाजों में कोरोना के संपूर्ण खात्मे के लिए दुआ की जाएगी। भास्कर

प्रशासन ने शाम को मुस्लिम इलाकों में फ्लैग मार्च

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोमवार को फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुजरा। अपर कलेक्टर एम एल आर्य, एएसपी डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, स्टेशन रोड, माणकचौक, औद्योगिक क्षेत्र, दीनदयाल नगर, यातायात थाना प्रभारी सहित पुलिस बल शामिल था।

अफवाहों पर ध्यान न दे

"समाजजन किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे। किसी भी प्रकार के जुलूस की जिला प्रशासन ने प्रदेश के किसी भी शहर में कोई अनुमति प्रदान नहीं की है इसलिए विधि विरुद्ध कार्य ना करें और उत्साह का त्योहार मनाने में बाधा उत्पन्न हो।"

सैयद आसिफ अली, चीफ काजी

जुलूस नहीं निकलेगा

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर सोमवार को किसी भी प्रकार की नई गाइडलाइन जारी नहीं आई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के अनुसार धार्मिक व अन्य कार्यक्रम होंगे।"

अभिषेक गेहलोत, शहर एसडीएम

दै. भास्कर 19/10/21

कचरा फैलाने और स्वच्छता नियम उल्लंघन पर होगा स्पॉट फाइन

प्रसारण न्यूज • रतलाम

स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थल पर ही जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान का आरंभ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर पर्यावरणीय सुधार और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यों में सड़कों एवं गलियों में कचरा फैलाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, खुले में स्नान, खुले में मल-मूत्र विसर्जन और खुले में बर्तन, कपड़े आदि की धुलाई शामिल है।

ठोस अपशिष्ट का एक ही डस्टबीन में एकत्र करना

ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही होगी। ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण न करते हुए एक ही डस्टबिन में एकत्र करने पर व्यक्तिगत श्रेणी, थोक कचरा उत्पादक, नष्ट होने योग्य बायोडीग्रेडेबल कचरा पृथक्कीकरण उचित प्रकार से नहीं देने पर, जैव अनाश्य अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का पृथक्कीकरण न करने, सूखा कचरा अलग न करने, बगीचे और हरे कचरे को खुले में फैकने, खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी

व्यावसायिक उपयोग (घरेलू छोड़कर) के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्री अपशिष्ट को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा/खुले में मल-मूत्र, विष्ठा कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना/शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। शास्ति/स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहें द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।

प्रसारण 19/10/21

पौर डागा ने हजारों लोगों के आवास से जुड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठाया

क प्लॉट और उस पर बने मकानों की लीज अवधि ढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने से लोग परेशान

निराकरण के लिए मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, सांसद व विधायक को लिखा पत्र

न

लेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री
ी भूपेंद्र सिंह, सांसद
पप को पत्र लिखा है।
र बने मकानों की लीज
ने और उक्त प्लाटों पर
ान शहर और प्रदेश के
ण की मांग की है।

वर्तमान में शासन के
त्ति का अंतरणनियम,
में टुकड़ों के प्लाट पर
अनुमति मिल रही है।
लीज नहीं बढाई जा रही

है। इससे हजारों परिवार की संपत्ति पर संकट के बादल छा गए है।इनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार है, जिन्होने जिंदगी भर की कमाई से अपने छोटे से घर का सपना पूरा किया और अब लीज नहीं बढने, नामांतरण नहीं होने और निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से एक तरह से उनकी संपत्ति शुन्य जैसी हो गई है। लीज अवधि नहीं बढ़ने से वे अब संपत्ति विक्रय भी नहीं कर पा रहे है।

रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारो की संख्या हजारों में है,जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या उस पर बने मकान खरीदे थे। अपने जीवन भर की पूंजी देकर अपने घर का सपना पूरा करने वाले इन परिवारों को उस समय इस नियम की जानकारी नहीं थी।आज यह सभी परिवार संकट में आ गए हैं और निगम के चक्कर काटने को मजबूर है।नामांतरण नहीं होने और लीज नहीं बढ़ने से ऐसी संपत्ति पर आवश्यकता होने पर बैंक लोन भी नहीं मिल पा रहा है।

आवास योजनाएं सवालों के घेरे में

श्री डागा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की संवेदनशील भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार पत्र दे रही है।सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही है।ऐसे में पूर्व में इस नियम की जानकारी नहीं होने के चलते टुकड़ों के प्लाट पर बने मकान खरीदने वाले और परिवार की संपत्ति के बंटवारे में विभाजित हुए प्लाट पर बने मकान में रहने वाले हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।क्योंकि इससे सारी योजनाओ पर सवाल खड़े हो रहे है। श्री डागा ने पत्र में सुझाव दिया है कि नई कालोनियां एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लाट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है,लेकिन जिन्होंने इस नियम के सख्ती से लागू होने से पूर्व मकान खरीदे हैं व बँटवारा हुआ है उनके लिए नामांतरण, लीज बढने और भवन निर्माण की अनुमति में छूट मिलना चाहिए।उन्होंने पत्र में कहा कि इस नियम के कारण नामांतरण नहीं होने, लीज नहीं बढने, भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं होने से निकायों को राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए नगर निगम चुनाव के पूर्व हजारों लोगों और परिवार और से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रसारण

प्रसारण 19/10/21

श्वानों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई

श्वान बंध्याकरण केंद्र निर्माण लगभग पूरा

रतलाम। नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे करीब तीन लाख रुपये की लागत से केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निर्माण को गति दी गई। बंध्याकरण केंद्रों पर शहर में सड़कों पर घूम रहे श्वान लाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रैबिज की बीमारी नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा। साथ ही डाग बाइट पर रैबिज की आशंका भी नहीं रहेगी।

नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ● नईदुनिया

कलेक्टर ने द्वारा रतलाम शहर में श्वानों द्वारा काटने के संदर्भ में समीक्षा करते हुए कहा कि रतलाम शहर डाग बाइट के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। शहर में 1700 व्यक्तियों को श्वानों द्वारा काटा जा चुका है जो चिंतनीय है। नगर निगम श्वानों की धरपकड करे। इस कार्य में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रूप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 श्वान हैं। नगर निगम ने टेंडर जारी किया है। बंध्याकरण केंद्र पर श्वानों को रखने के लिए 12 काटेज बनाकर श्वानों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था कर हवा के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। नई.

नईदुनिया 19/10/21

बाल चिकित्सालय • सेकंड डोज पर फोकस, 50 हजार लोगों का दूसरा टीका बाकी

बच्चों के लिए बढ़ाएंगे बेड, इस हफ्ते 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बाल चिकित्सालय में बच्चों के लिए जल्द ही बेड बढ़ाए जाएंगे। सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसके लिए सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे को कह दिया है। अभी शहर में डेंगू और वायरल का प्रकोप है, ऐसे में बाल चिकित्सालय के हाल खराब बने हुए हैं। ऐसी नौबत भी बन रही है कि बच्चों को वार्ड के बाहर ही भर्ती करना पड़ रहा है।

सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का जोर टीकाकरण पर भी रहा। समीक्षा बैठक में उन्होंने इसी सप्ताह 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का कहा है। इसमें सेकंड डोज पर ही फोकस किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि बैकलॉग खत्म करना है, अभी 59 हजार वैक्सीन उपलब्ध है। इस सप्ताह में सेकंड डोज पर जोर देना है। आलोट के एसडीएम को कहा कि 25 या 26 सेंटर्स पर रोजाना काम किया जाए। प्रभारी बाजना डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को काम पर लगाकर लक्ष्य की पूर्ति करें। उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन भी लोगों को दूसरा डोज लगवाने का कहे। शहर में अभी 50 हजार लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। भास्कर

प्लान : आलोट में 25-26 सेंटरों पर रोज होगा काम

बिजली कंपनी को कहा - फोन उठाओ, लोगों को जवाब दो

कलेक्टर ने बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री को कहा कि आपके यहां आने वाले कॉल को रिस्पांस दिया जाए। कलेक्टर ने कहा बिजली आम लोगों की जरूरत है। लोग बिजली कंपनी में कॉल करते हैं तो रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है। जब भी कॉल आए.. तो लोगों को बताएं कि एक घंटा, आधा घंटा या जो भी समय सीमा हो बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी।

सीईओ जनपद के सबसे बड़े अधिकारी... समस्या से अनजान

बाजना के केलकच्छ में जल समस्या की शिकायत मिलने पर कलेक्टर जनपद सीईओ बाजना पर नाराज हुए। कलेक्टर ने कहा जनपद सीईओ जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उनको अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में पता नहीं है। केलकच्छ के पंचायत सचिव को नोटिस देने का कहा।

1 सप्ताह में लोगों को देंगे अवैध कॉलोनियों की जानकारी, फिर जो प्लॉट खरीदे वो जिम्मेदार

कलेक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह में लोगों को पूरे जिले की अवैध कॉलोनियों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद जो प्लॉट खरीदता है, वह जिम्मेदार होगा। भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई करने का कहा। उपसंचालक कृषि को नकली खाद बीज नहीं बिके इसके लिए कार्रवाई करने का कहा है।

दै. भास्कर 19/10/21

एक दिन में 10 वार्डों में होगा कीटनाशक छिड़काव

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। डेंगू व मलेरिया सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए सोमवार से नई व्यवस्था में अब प्रत्येक वार्ड में एक ही समय में 49 कर्मचारियों द्वारा हैंड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव शुरू किया गया है। इससे पहले 49 वार्डों के लिए वार्डवार एक-एक कर्मचारी नियुक्त कर छिड़काव कराया जा रहा था।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि सोमवार को वार्ड 1 से 5 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड 6 से 10 तक शाम 6 से रात 10 बजे तक छिड़काव किया गया। एक दिन में कुल 10 वार्डों में छिड़काव होगा। एक ही समय में एक साथ 1-1 वार्ड में 49 कर्मचारियों द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव कर पांच दिन बाद इसी क्रम को पुन: दोहराया जाएगा। कर्मचारी सुबह व शाम नगर निगम कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर दवा प्राप्त करेंगे। इसके बाद कर्मचारियों को बड़े वाहन से कर्तव्य स्थल पर ले जाने के बाद छिड़काव होने पर वापस नगर निगम कार्यालय परिसर में लाया जाएगा। नियुक्त कर्मचारी प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल के निर्देशन में कार्य करेंगे। सुबह पांच कर्मचारियों के अनुपस्थित होने पर आयुक्त द्वारा उनका एक दिन का वेतन काटते हुए सेवा से बर्खास्त करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया।

कर्मचारियों से दवा छिड़काव को लेकर चर्चा करते हुए आयुक्त सोमनाथ झारिया। •नईदुनिया

वार्डों में छिड़काव की तारीख तय की: 19 अक्टूबर- वार्ड 11 से 15 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड 16 से 20 तक शाम 6 से रात 10 बजे तक। 20 अक्टूबर- वार्ड 21 से 25 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड 26 से 30 तक शाम 6 से रात 10 बजे तक। 21 अक्टूबर-वार्ड 31 से 35 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड 36 से 40 तक शाम 6 से रात 10 बजे तक।

22 अक्टूबर- वार्ड 41 से 45 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड 46 से 49 तक शाम 6 से रात 10 बजे तक। 45.

नईदुनिया 19/10/21

खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त

रतलाम। खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो पुलिस कन्ट्रोल रूम में पृथक-पृथक शिफ्टों में उपस्थित रहकर सीसीटीवी (कन्ट्रोल रूम) से कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखेगें। निगम आयुक्त झारिया ने कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु प्रदीप त्रिवेदी सहायक वर्ग-2 को प्रातः 6 से दोपहर 3 बजे तक व राजेन्द्र शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक को दोपहर 3 से रात्रि 12 बजे तक नियुक्त किया है। नियुक्त कर्मचारी कचरा फेंकने वाले नागरिक, दुकानदार की जानकारी झोन प्रभारी, स्पॉट फाईन टीम व वार्ड प्रभारी को तत्काल देंगे।

अवन्तिका 19/10/21

खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त

रतलाम। खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो पुलिस कन्ट्रोल रूम में पृथक-पृथक शिफ्टों में उपस्थित रहकर सीसीटीवी (कन्ट्रोल रूम) से कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखेगें।

निगम आयुक्त झारिया ने कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु प्रदीप त्रिवेदी सहायक वर्ग-2 को प्रातः 6 से दोपहर 3 बजे तक व राजेन्द्र शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक को दोपहर 3 से रात्रि 12 बजे तक नियुक्त किया है। नियुक्त कर्मचारी कचरा फेंकने वाले नागरिक, दुकानदार की जानकारी झोन प्रभारी, स्पॉट फाईन टीम व वार्ड प्रभारी को तत्काल देंगे।

प्रसारण 19/10/21

शासकीय नालों पर अतिक्रमण हटेगा

रतलाम। शहर में कई शासकीय नालों पर अतिक्रमण देखने में आया है, इस कारण जल निकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। विगत दिनों अतिवृष्टि के दौरान स्थिति देखने में आई थी। उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए शासकीय नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्थानों को चिन्हित करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक समिति गठित की गई है जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके का परीक्षण कर अवैध निर्माण चिन्हित करके 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गठित समिति में एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी तथा नायब तहसीलदार मनोज चौहान शामिल हैं। आयुक्त नगर निगम समिति को आवश्यक सहयोग देंगे।

अग्निबाण 19/10/21

शासकीय नालों पर अतिक्रमण चिन्हित करने टीम गठित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में शासकीय नालों पर अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन सख्ती बरतता नजर आ रहा है। नालों पर अतिक्रमण को लेकर जल निकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। विगत दिनों अतिवृष्टि के दौरान स्थिति देखने में आई थी। इस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए शासकीय नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्थानों को चिन्हित करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक समिति गठित की गई है जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके का परीक्षण कर अवैध निर्माण चिन्हित करके 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति में एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी तथा नायब तहसीलदार मनोज चौहान शामिल हैं। आयुक्त नगर निगम समिति को आवश्यक सहयोग देंगे।

पत्रिका 19/10/21

अब सरकारी नालों का अतिक्रमण हटेगा, स्थान चिह्नित करेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सरकारी जमीनों के साथ ही अब सरकारी नालों पर किया गया अतिक्रमण भी हटेगा। इसमें भी खास तौर पर ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिससे जल निकासी रुकती है। बारिश में ऐसी स्थिति कई जगह बनी थी। ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समिति बना दी है। ये समिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके का परीक्षण कर अवैध निर्माण चयनित करके दस दिन में रिपोर्ट देंगे। समिति में एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी, नायब तहसीलदार मनोज चौहान शामिल है। आयुक्त नगर निगम समिति भी सहयोग करेंगे।

दै. भास्कर 19/10/21

सनसिटी कॉलोनी में नहीं आ रही कचरा संग्रहण गाड़ी

रतलाम। सनसिटी कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि कालोनी में नियमित कचरा संग्रहण गाड़ी नहीं आ रही है।

जिम्मेदार अधिकारी को बार-बार फोन लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं भेजी जाती है। वर्तमान में मलेरिया, डेंगू तेजी से फैल रहा है। इसके बाद भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं।

कॉलोनी से लगी बंजारा बस्ती का गंदा पानी कालोनी के मुख्य गेट पर आ रहा है। इस संबंध में भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मौके पर आकर चले जाते हैं। इसे लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है। समिति के नीलेश पाठक, जगदीशचंद्र सीनम, डा. आरएस राठौर, राकेश शर्मा, परमानंद आदि ने निगमायुक्त से व्यवस्था में शीघ्र सुधार कराने का अनुरोध किया है।

सनसिटी कॉलोनी में लगा कचरा-गंदगी का ढेर। ● नईदुनिया

आंखों का परीक्षण किया

बाजना। विश्व दृष्टि दिवस व अमृत महोत्सव अभियान के तहत बाजना व कुंदनपुर में बीएमओ जितेंद्र जायसवाल के मार्गदर्शन में नेत्र शिविर लगाया गया। नेत्र विशेषज्ञ डा. केएस चौहान ने ग्रामीणों की आंखों का परीक्षण कर आवश्यक सलाह दी। साथ ही नजदीक के पढ़ने हेतु निशुल्क चश्मे व दवाई का वितरण किया गया। जीवन ज्योति मेघनगर संस्था का सराहनीय सहयोग रहा।

नईदुनिया 19/10/21

रतलाम

दुर्दशा : ये शहर की पॉश कॉलोनी कस्तूरबा नगर है, फिर भी ये हाल हैं

रतलाम | ये तस्वीर कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 की है। यहां नगर निगम की पानी की टंकी है लेकिन यहां हो रहे गड्ढों में दिनभर पानी भरा रहता है। इससे रहवासी परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम द्विवेदी ने बताया कि आए दिन यही स्थिति रहती है। गार्डन भी पास में है लेकिन सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे सड़क भी जर्जर हो गई है। नगर निगम को कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला तक नहीं है। शहर की पॉश कॉलोनी होने के बाद भी यही स्थिति है। जबकि डेंगू चल रहा है और कॉलोनियों के तीन से चार लोगों को डेंगू भी हो गया है। बावजूद कहीं कोई देखने और सुनने वाला तक नहीं है। ना तो नगर निगम के अफसरों का ध्यान है और ना ही जनप्रतिनिधियों का ध्यान है।

विभाजित प्लॉट की लीज अवधि नहीं बढ़ने से दिक्कत

पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने लिखा पत्र

नामांतरण नहीं होने से हजारों परिवार परेशान

भास्कर संवाददाता | रतलाम

विभाजित या टुकड़ों के प्लॉट और उस पर बने मकानों की लीज अवधि नहीं बढ़ने, नामांतरण नहीं होने से निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। इससे शहर और प्रदेश के हजारों लोग परेशान हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए भाजपा क पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है। पूर्व महापौर डागा ने बताया मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016 के कारण टुकड़ों के प्लॉटों के नामांतरण नहीं हो रहे। इसके चलते निर्माण अनुमति नहीं मिल रही है। लीज भी नहीं बढ़ाई जा रही है। प्रभावितों में अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार हैं। लीज व नामांतरण नहीं होने से संपत्ति शून्य जैसी हो गई है। संपत्तियों का विक्रय भी नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम चुनाव के पहले हजारों लोगों और परिवार और से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

ऐसे हो सकता है निराकरण

पूर्व महापौर डागा ने पत्र में निराकरण का सुझाव देते हुए बताया कॉलोनियों एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लॉट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है। वहीं जिन्होंने इसके पहले मकान खरीदे, बंटवारा हुआ, उनके लिए नामांतरण, लीज बढ़ाने और भवन निर्माण की अनुमति में छूट दी जाए। इससे निकायों का राजस्व भी बढ़ेगा।

दै. भास्कर 13/10/21

गोडाउन में आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच

रहवासी क्षेत्र में व्यवसाय के लिए रखे थे पटाखे, सूचना पर प्रशासन ने दी दबिश

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के रहवासी क्षेत्र में एक घर के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे होने की सूचना पर सोमवार दोपहर को प्रशासन की टीम ने दबिश दी। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस भी साथ में मौजूद थी। टीम ने यह कार्रवाई थाना स्टेशन रोड क्षेत्र स्थित रामदेव जी की घाटी स्थित एक मकान पर की। जहां जाने पर बड़ी संख्या में बम-पटाखे मिले, जिसे जप्त कर प्रशासन संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

प्रशासन को मिली सूचना के बाद पुलिस को साथ लेकर नायब तहसीलदार पूजा भाटी सहितह अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम जब रामदेव जी की घाटी स्थित युवराज सिंह के घर पहुंची तो वहां घर के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे नजर आए। रहवासी क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों को रखा देख अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस की माने तो युवराज पटाखे का व्यवसाय करता है। उसके यहां रखे पटाखे करीब 80 हजार से एक लाख रुपए कीमत के होने बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद टीम के अधिकारियों की माने तो घर में व्यवसाय के लिए पटाखे रखने के मामले में संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसके पटाखे जप्त कर लिए गए है, जब प्रशासन इसके व्यवसाय के लिए दुकान आवंटित करेगा उसके बाद पटाखे लौटाने की कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका 19/10/21

रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से रखे पटाखे जब्त

रतलाम | रामदेव घाटी पर दबिश देकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को करीब एक लाख रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए हैं। रहवासी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री रखने के कारण यह कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार पूजा भाटी ने कार्यवाही की। सहयोग के लिए स्टेशन रोड थाने का पुलिस बल मौजूद था। रामदेवजी की घाटी निवासी युवराज पिता मदनमोहन के घर से पटाखे जब्त हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जब्त माल पटाखा थोक व्यवसायी के गोडाउन में रखवाया गया है।

भास्कर

दै. भास्कर 19/10/21

रेबीज का खतरा • स्वास्थ्य संचालनालय की एडवायजरी में डाग बाइट के मामले में रतलाम प्रदेश में दूसरे नंबर पर

अगस्त में 1700 डाग बाइट के केस, फिर भी जीवदया वाले विरोध में, जुलवानिया में बना बंध्याकरण केंद्र

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में डाग बाइट पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य संचालनालय ने एडवायजरी जारी की है। इसके अनुसार अकेले अगस्त में जिले के 1700 लोग डाग बाइट के शिकार हुए हैं। इस मामले में 5500 डाग बाइट के साथ इंदौर दूसरे स्थान पर है। इसे रोकने के लिए नगर निगम ने जुलवानिया में बंध्याकरण केंद्र बना लिया है। अब ट्रायल के तौर पर 200 कुत्तों को पकड़कर बंध्याकरण किया जाएगा। सरकारी अमले की समस्या यह है कि एक तरफ पड़े पैमाने पर श्वान लोगों को काट रहे हैं, वहीं इनकी जवाबदारी लेने और जीवदया वाले हमेशा की तरह विरोध का राग अलाप रहे हैं। बंध्याकरण केंद्र को लेकर तो मेनका गांधी तक ने प्रशासन को फोन कर विरोध जताया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अफसरों ने इसे रोकने के लिए दो टूक मना कर दिया है।

नगर निगम ने जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। ट्रेंचिंग ग्रा ंड के पीछे लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बनाए गए केंद्र में जल्द ही श्वान लाकर बंध्याकरण करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ रेबीज की बीमारी नहीं हो, इसलिए उनका टीकाकरण भी होगा। इसका तोहरा फायदा होगा, एक तो श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा। दूसरा डॉग बाइट पर रेबीज बीमारी की आशंका नहीं रहेगी।

रुकवाने की कोशिश करने वालों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस

श्वानों के बंध्याकरण को लेकर प्रशासन का रवैया सख्त है। कलेक्टर ने निगम कमिश्नर झारिया को साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो भी इस काम को रुकवाने की कोशिश करें, उसके खिलाफ पुलिस में सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 आवारा श्वान हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आयुक्त सोमनाथ झारिया को एक्शन लेने को कहा था। इस पर निगम ने बंध्याकरण केंद्र बनाकर टेंडर जारी कर दिया है। इसमें 5000 श्वानों का बंध्याकरण किया जाएगा। केंद्र में श्वानों को रखने के लिए 12 कॉटेज बनाए गए हैं। इनमें श्वानों के खाने, पानी की व्यवस्था रहेगी। भास्कर

जुलवानिया में बनाया गया बंध्याकरण केंद्र।

बाधा डालने पर कार्रवाई करेंगे

बंध्याकरण केंद्र पर वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रूप में सीमित संख्या में श्वानों का बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है। इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतलाम शहर डाग बाइट के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। यह चिंता का विषय है।

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

दै. भास्कर 19/10/21

पूर्व महापौर डागा ने हजारों लोगों के आवास से जुड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठाया

टुकड़ों के प्लॉट और उस पर बने मकानों की लीज अवधि नहीं बढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने से लोग परेशान

निराकरण वे
नगरीय प्रशा
व विधायक

प्रसारण न्यूज • रतलाम

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है। इसमें विभाजित या टुकड़ों के प्लाट और उस पर बने मकानों की लीज अवधी नहीं बढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने और उक्त प्लाटों पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से परेशान शहर और प्रदेश के हजारों परिवारों की गंभीर समस्या का निराकरण की मांग की है।

पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने बताया कि वर्तमान में शासन के नियम (मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरणनियम, 2016) के कारण रतलाम शहर सहित प्रदेश में टुकड़ों के प्लाट पर नामांतरण नहीं हो रहे है और न ही निर्माण की अनुमति मिल रही है।

श्री डागा ने बताया कि टुकड़े के प्लाट की लीज नहीं बढाई जा रही है। इससे हजारों परिवार की संपत्ति पर संकट के बादल छा गए है।इनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार है, जिन्होने जिंदगी भर की कमाई से अपने छोटे से घर का सपना पूरा किया और अब लीज नहीं बढ़ने, नामांतरण नहीं होने और निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से एक तरह से उनकी संपत्ति शुन्य जैसी हो गई है। लीज अवधि नहीं बढ़ने से वे अब संपत्ति विक्रय भी नहीं कर पा रहे है।

रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारो की संख्या हजारों में है,जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या उस पर बने मकान खरीदे थे। अपने जीवन भर की पूंजी देकर अपने घर का सपना पूरा करने वाले इन परिवारों को उस समय इस नियम की जानकारी नहीं थी।आज यह सभी परिवार संकट में आ गए हैं और निगम के चक्कर काटने को मजबूर है।नामांतरण नहीं होने और लीज नहीं बढ़ने से ऐसी संपत्ति पर आवश्यकता होने पर बैंक लोन भी नहीं मिल पा रहा है।

आवास योजनाएं सवालों के घेरे में

श्री डागा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की संवेदनशील भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार पत्र दे रही है।सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही है।ऐसे में पूर्व में इस नियम की जानकारी नहीं होने के चलते टुकड़ों के प्लाट पर बने मकान खरीदने वाले और परिवार की संपत्ति के बंटवारे में विभाजित हुए प्लाट पर बने मकान में रहने वाले हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।क्योकि इससे सारी योजनाओ पर सवाल खड़े हो रहे है। श्री डागा ने पत्र में सुझाव दिया है कि नई कालोनियां एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लाट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है,लेकिन जिन्होंने इस नियम के सख्ती से लागू होने से पूर्व मकान खरीदे हैं व बँटवारा हुआ है उनके लिए नामांतरण, लीज बढने और भवन निर्माण की अनुमति में छूट मिलना चाहिए।उन्होंने पत्र में कहा कि इस नियम के कारण नामांतरण नहीं होने, लीज नहीं बढने, भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं होने से निकायों को राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए नगर निगम चुनाव के पूर्व हजारों लोगों और परिवार और से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

प्रसारण

प्रसारण 19/10/21

लापरवाही बरतने पर 15 दिवस का वेतन काटा

रतलाम ● सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 31 में जगह-जगह गंदगी के ढेर एवं कचरा फैला पाए जाने तथा जावरा रोड मुख्य मार्ग पर कचरे की ट्रॉली कचरे भरी पाए जाने पर वार्ड प्रभारी दिनेश बोयत व राशन कार्ड शाखा के स्थायीकर्मी कुलदीप भट्ट द्वारा सीएम हेल्प लाइन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दोनों कर्मचारियों का माह अक्टूबर का 15 दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण चाहा है।

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवाएं

रतलाम ● शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्त पेंशन, मानसिक बहुदिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केन्द्रों पर किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, नि:शक्तता, आयकरदाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जॉब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाए।

स्वदेश 19/10/21

लापरवाही बरतने पर दिनेश बोयत व कुलदीप भट्ट का 15 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 31 में जगह-जगह गंदगी के ढेर एवं कचरा फैला पाये जाने तथा जावरा रोड मुख्य मार्ग पर कचरे की ट्रॉली कचरे भरी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी दिनेश बोयत व राशन कार्ड शाखा के स्थायीकर्मी कुलदीप भट्ट द्वारा सीएम हेल्प लाईन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दोनो कर्मचारियों का माह अक्टूबर का 15 दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण चाहा है।

जयकिशन-मदन सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन क्रमांक 2 के कर्मचारी जयकिशन-मदन द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के चार माह से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया।

इन्दौर समाचार 19/10/21

लापरवाही बरतने पर 15-15 दिन का वेतन काटा

रतलाम। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक-31 में जगह-जगह गंदगी के ढेर व कचरा फैला पाए जाने, जावरा रोड मुख्य मार्ग पर कचरे की ट्राली कचरे से भरी पाए जाने पर वार्ड प्रभारी दिनेश बोयत, राशन कार्ड शाखा के स्थायीकर्मी कुलदीप भट्ट द्वारा सीएम हेल्पलाइन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने माह अक्टूबर का 15-15 दिन का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। स्पष्टीकरण 24 घंटे में चाहा गया है।

जयकिशन-मदन सेवा से बर्खास्त : निगम आयुक्त ने जोन क्रमांक-दो के कर्मचारी जयकिशन-मदन को कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के चार माह से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

नईदुनिया 19/10/21

लापरवाही बरतने पर दिनेश बोयत व कुलदीप भट्ट का 15 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 31 में जगह-जगह गंदगी के ढेर एवं कचरा फैला पाये जाने तथा जावरा रोड मुख्य मार्ग पर कचरे की ट्रॉली कचरे भरी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी दिनेश बोयत व राशन कार्ड शाखा के स्थायीकर्मी कुलदीप भट्ट द्वारा सीएम हेल्प लाईन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दोनो कर्मचारियों का माह अक्टूबर का 15 दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण चाहा है।

प्रसारण 19/10/21

दो कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

रतलाम ● निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन क्रमांक 2 के कर्मचारी जयकिशन मदन द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के चार माह से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया।

स्वदेश 19/10/21

जयकिशन-मदन सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन क्रमांक 2 के कर्मचारी जयकिशन-मदन द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के चार माह से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया।

प्रसारण 19/10/21

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने हजारों लोगों के आवास से जुड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठाया

निराकरण के लिए मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, सांसद व विधायक को लिखा पत्र

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है। इसमें विभाजित या टुकड़ों के प्लाट और उस पर बने मकानों की लीज अवधी नहीं बढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने और उक्त प्लाटों पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से परेशान शहर और प्रदेश के हजारों परिवारों की गंभीर समस्या का निराकरण की मांग की है।

पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने बताया कि वर्तमान में शासन के नियम (मध्यप्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरणनियम, 2016) के कारण रतलाम शहर सहित प्रदेश में टुकड़ो के प्लाट पर नामांतरण नहीं हो रहे है और न ही निर्माण की अनुमति मिल रही है।

संपत्ति खरीदने के बाद हजारों शहरवासी परेशान

श्री डागा ने बताया कि टुकड़े के प्लाट की लीज नहीं बढाई जा रही है। इससे हजारों परिवार की संपत्ति पर संकट के बादल छा गए है। इनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार है, जिन्होने जिंदगी भर की कमाई से अपने छोटे से घर का सपना पूरा किया और अब लीज नहीं बढने, नामांतरण नहीं होने और निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से एक तरह से उनकी संपत्ति शुन्य जैसी हो गई है। लीज अवधि नहीं बढ़ने से वे अब संपत्ति विक्रय भी नहीं कर पा रहे है ।

रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारों की संख्या हजारों में है, जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या उस पर बने मकान खरीदे थे। अपने जीवन भर की पूंजी देकर अपने घर का सपना पूरा करने वाले इन परिवारों को उस समय इस नियम की जानकारी नहीं थी। आज यह सभी परिवार संकट में आ गए हैं और निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। नामांतरण नहीं होने और लीज नहीं बढ़ने से ऐसी संपत्ति पर आवश्यकता होने पर बैंक लोन भी नहीं मिल पा रहा है।

आवास योजनाएं सवालों के घेरे में

श्री डागा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की संवेदनशील भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार पत्र दे रही है।सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में पूर्व में इस नियम की जानकारी नहीं होने के चलते टुकड़ों के प्लाट पर बने मकान खरीदने वाले और परिवार की संपत्ति के बंटवारे में विभाजित हुए प्लाट पर बने मकान में रहने वाले हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है क्योंकि इससे सारी योजनाओ प[र] सवाल खड़े हो रहे है।

श्री डागा ने पत्र में सुझा[व] दिया है कि नई कालोनियां ए[वं] नए सत्र के बाद विक्रय हु[ए] मकानों या प्लाट में इस नियम क[ो] सख्ती से लागू किया जा सक[ता] है, लेकिन जिन्होंने इस नियम [के] सख्ती से लागू होने से पूर्व मका[न] खरीदे हैं व बँटवारा हुआ [है] उनके लिए नामांतरण, ली[ज] बढाने और भवन निर्माण [की] अनुमति में छूट मिलना चाहिए।

उन्होंने पत्र में कहा कि इ[स] नियम के कारण नामांतरण न[हीं] होने, लीज नहीं बढने, भ[वन] निर्माण की अनुमति जारी न[हीं] होने से निकायों को राजस्व [की] हानि हो रही है। इसलिए न[गर] निगम चुनाव के पूर्व हज[ारों] लोगों और परिवार और से [...] इस मुद्दे पर ध्यान दिया ज[ाना] आवश्यक है। अवन्ति[का]

अवन्तिका 19/10/21

सरकारी जमीन पर बना हुआ सीसी रोड तोड़ा गया

द्वारका रेजीडेंसी पर चला प्रशासन का पंजा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाकर और नियम विपरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क को उखाडने के लिए नगर निगम की जेसीबी सहित इंजीनियर की टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है।

गौरतलब है कि राममंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में नोटिस देने के बाद मुद्दा चर्चा का विषय बना था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारका रेजीडेंसी के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने नोटिस के बाद जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व के अवकाश के बाद नियम विपरित सरकारी जमीन पर बनाई सीमेंट कांक्रीट सड़क को उखाडने के लिए सुबह से जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब द्वारा रेजीडेंस में निर्माणाधीन बिल्डिंग के अलावा जारी अनुमतियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। २१५

राज एक्सप्रेस 19/10/18

रात्रिकालीन सफाई हेतु दरोगा एवं कर्मचारी नियुक्त

स्वतंत्र समय, रतलाम। नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नवीन व्यवस्था के तहत पहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य हेतु दलो का गठन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

रात्री 11 से प्रात : 7 बजे तक होगी सफाई

शहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य व्यवस्था के तहत अम्बेडकर प्रतिमा से मांटेसरी फोरलेन होते हुए फव्वारा चौक तक दाये व बांई ओर की सफाई हेतु शरद खरे, रेलवे अण्डर ब्रीज से फव्वारा चौक, महू रोड बस स्टैण्ड होते हुए न्यू कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु संजय डिंडोरे, कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज से सालाखेड़ी चौराहे तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु देवीलाल शंकर, सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे से दो बत्ती डाट की पुल, न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहे से शहीद चौक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, दो बत्ती चौराहे से स्टेट बैंक कानवेंट स्कूल तिराहा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से खेड़ापति हनुमानजी मंदिर तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु राजेश मेहना, स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा होते हुए महाराजा सज्जनसिंह जी की प्रतिमा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु रामलाल नुरा व महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु अर्जुन गौसर को दल प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक दल में दांई ओर बांई ओर सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वतंत्र समय

स्वतंत्र समय 19/10/21

1 वार्ड में 1 ही समय में 49 हैंड स्प्रे मशीन से होगा छिड़काव

पत्रिका सोशल प्राइड

नगर निगम परिसर में दवा छिड़काव करने वाले सभी कर्मचारियों को बुलाकर निगम आयुक्त ने दिए निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. डेंगू और मलेरिया को खत्म करने के लिए और आमजन को इससे बचाने के लिए नगर निगम ने सोमवार से फॉगिंग के अतिरिक्त नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों में कीटनाशक दवा का छिड़काव भी शुरू कर दिया। इसके लिए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दवा का छिड़काव करने वाले सभी कर्मचारियों को निगम परिसर में बुलाकर सुबह के समय उन्हे निर्देश दिए और फिर एक साथ सभी को रवाना किया।

निगम आयुक्त ने बताया कि नगर के नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा सोमवार से नई कार्यव्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड में एक ही समय में 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ कर दिया गया है। 1 वार्ड में एक ही समय में एक साथ 49 कर्मचारियों द्वारा यह कार्य किया जाएगा, जिससे लोगों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके।

सुबह-शाम होगा दवा छिड़काव

दवा छिड़काव का यह काम एक साथ 1-1 वार्ड में 49 कर्मचारियों द्वारा हैण्ड स्प्रे मशीन से किया जाएगा। उसके बाद पांच दिन बाद इसी क्रम को फिर से दोहराया जाएगा। मशीन से कीटनाशक दवा छिड़काव के कर्मचारी सुबह व शाम नगर निगम कार्यालय परिसर में एकत्रित होंगे और यहीं से दवा प्राप्त करेंगे। इसके बाद कर्मचारियों को बड़े वाहन के माध्यम से एक साथ तय स्थल पर ले जाया जाएगा और काम पूरा होने के बाद फिर से नगर निगम कार्यालय परिसर में लाया जाएगा।

पांच का कटा एक दिन का वेतन

कीटनाशक दवा छिड़काव में लापरवाही बरती जाने के चलते पहले ही दिन 5 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा गया है और सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि अनुपस्थित कर्मचारी अर्जुन राजेन्द्र, कन्हैया-कमल, राकेश-रामप्रसाद, रोहित-प्रभुदयाल व राजेन्द्र फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का नोटिस दिया गया है।

पत्रिका

पत्रिका 19/10/21

जिले में टीकाकरण के सेकंड डोज पर फोकस

- 1 सप्ताह में लगेंगे 1 लाख वैक्सीन
- समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

कोरोना टीकाकरण महा अभियान के तहत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की गई। बताया गया कि जारी सप्ताह में 1 लाख वैक्सीन जिले में लगाए जाएंगे, सेकंड उस पर फोकस किया जा रहा है।

कलेक्टर ने एसडीएमवार समीक्षा की, निर्देश दिए कि बैकलॉग खत्म करना है अभी 59 हजार वैक्सीन उपलब्ध है। इस सप्ताह में सेकंड डोज पर जोर देते हुए लगभग 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। आलोट को निर्देश दिए कि 25 या 26 सेंटर्स पर रोजाना कार्य किया जाए। प्रभारी बाजना डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को निर्देश दिए कि सभी विभागों के कर्मचारियों को काम पर लगाकर लक्ष्य पूर्ति करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन द्वारा भी सेकंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। रतलाम शहर में सेकंडडोज की 50 हजार पेंडेंसी है।

बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए कि आपके यहां आने वाले कॉल को रिस्पांस दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बिजली आमजन की मूलभूत जरूरत है, आम नागरिक विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में कॉल करता है तो रिस्पांस क्यों नहीं किया जाता है जब भी कॉल आए उसको बताया जाए कि एक घंटा, आधा घंटा या जो भी समय सीमा हो बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी।

जिले के बाजना क्षेत्र के केलकच्छ में जल समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ बाजना के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि जनपद सीईओ जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उनको अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में पता नहीं है। निर्देश दिए कि केलकच्छ के पंचायत सचिव को नोटिस दिया जाए। भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। बताया गया कि 1 सप्ताह में आम नागरिकों की जानकारी के लिए पूरे जिले की अवैध कालोनियों के बारे में जानकारी प्रकाशित कर दी जाएगी और फिर व्यक्ति जिम्मेदार होगा यदि प्लॉट खरीदता है।

उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि नकली खाद बीज नहीं बिके, इस बारे में स्वयं पता लगाकर कार्रवाई करते रहें क्योंकि नकली बेचने वाला आपको आकर नहीं बताएगा कि वह नकली बेच रहा है। बाल चिकित्सालय में बच्चों को भर्ती के दौरान पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध रहें, इसके लिए कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त बेड व्यवस्था करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए गए।

प्रसारण 19/10/21

पत्रिका 19/10/21

...ड़क को उखाड़ा : द्वारका रेसीडेंसी के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का पंजा

...आदेश पर द्वारका के कब्जे से सरकारी भूमि मुक्त

इस तरह बड़ी कार्रवाई, पांच घंटे तक हर नजर लगी रही

...से की शुरूआत... कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर अमल ... लिए नगर निगम अमला सोमवार सुबह द्वारका रेसीडेंसी ...रिसर पहुंचा। सबसे पहले निगम के तकनीकी दल ने पूर्व में ...हिन्त सरकारी भूमि का कार्रवाई पूर्व सत्यापन किया।

ऐसे तोड़ने की कार्रवाई... सबकुछ जांच अनुसार पाए जाने के बाद निगम की अतिक्रमण विरोधी गैंग को आगे किया गया। एक जेसीबी के साथ 8 श्रमिक लगाए गए। ब्रिज के पास से जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे पर बनी सड़क उखाड़ी।

ऐसे चली पूरी प्रक्रिया... निगमायुक्त सोमनाथ झारिया की निगरानी में 5 इंजीनियर मौके पर तैनात रहे। करीब 22 लोगों का अमला 5 घंटे से तक 15 हजार वर्ग फीट के कब्जे वाली सीसी सड़क को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा रहा।

द्वारका रेसीडेंसी की गड़बड़ियों पर पत्रिका ने पहले दिन से ही नजर रखते हुए उसकी हर गड़बड़ियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया

पत्रिका

पत्रिका की खबरों पर मुहर

खबरों का असर

आखिरकार द्वारका के कब्जे पर संयुक्त अमले की जेसीबी चल ही गई। शहर के सबसे व्यस्त रोड से सटी जमीन पर निर्मित हो रही द्वारका रेसीडेंसी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया था। मामले में शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से जांच कमेटी बनी तो यह शिकायत सही पाई गई। इसके बाद मामला न्यायालय तक भी पहुंचा, लेकिन इंदौर हाईकोर्ट में बिल्डर जितेन्द्र नागल को कोई राहत नहीं मिली तो कलेक्टर कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए द्वारका की कब्जाई सरकारी भूमि पर बनी सड़क तोड़ने सहित रेसीडेंसी निर्माण की अनुमति, दस्तावेजी प्रक्रिया और इस दौरान पदस्थ रहे अफसरों की भूमिका का भी सत्यापन एवं जांच कार्य हो रहा है, जल्द ही नगर निगम अपन प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करेगा। इस पूरे मामले को लेकर पत्रिका ने लगातार समाचारों का प्रकाशन करते हुए सामने आए हर तथ्य से पाठकों को अवगत कराया और अवैध कब्जे को लेकर मुखरता से आवाज उठाई।

निगम वसूलेगा कार्रवाई की राशि

सीमेंट कांक्रीट सड़क को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देश के अनुसार नगर निगम के लोक निर्माण अमले ने तोड़ने की कार्रवाई की। निगम की तरफ से दो जेसीबी, एक हैमर गैंग और मौके पर निकले मलबे को उठाने के लिए डंपर लगाए गए थे। निगम आयुक्त झारिया ने बताया कि अतिक्रमण तोड़ने में लगे संसाधनों में होने वाले व्यय के तहत नगर निगम बिल्डर जितेन्द्र नागल से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से राशि वसूल करेगा। राशि वसूलने के लिए संबंधित को निगम की तरफ से सूचना पत्र भी जारी कर दिया गया है।

निगम प्रशासक के निर्देश पर कार्रवाई

द्वारका रेसीडेंसी के मालिक द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई सीमेंट कांक्रीट सड़क को निगम के प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के निर्देशानुसार तोड़ा गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लगाए गए निगम के संसाधनों के एवज में रेसीडेंसी के मालिक से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से वसूली की जाएगी।

- सोमनाथ झारिया, निगम आयुक्त, रतलाम

टुकड़ों के प्लॉट से हो रही परेशानी

न नामांतरण और न निर्माण की अनुमति मिल रही, पत्र लिख निकराकरण की मांग

रतलाम। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद गुमानसिंह डामोर एवं विधायक चेतन्य काश्यप को पत्र लिखा है। इसमें विभाजित या टुकड़ों के प्लाट और उस पर

▶ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने की मांग

बने मकानों की लीज अवधी नहीं बढ़ने, उनका नामांतरण नहीं होने और उक्त प्लाटों पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से परेशान शहर और प्रदेश के हजारों परिवारों की गंभीर समस्या का निराकरण की मांग की है।

पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने बताया कि वर्तमान में शासन के नियम (मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरणनियम, 2016) के कारण रतलाम शहर सहित प्रदेश में टुकड़ों के प्लाट पर नामांतरण नहीं हो रहे है और न ही निर्माण की अनुमति मिल रही है।

संपत्ति खरीदने के बाद हजारों शहरवासी परेशान: श्री डागा ने बताया कि टुकड़े के प्लाट की लीज नहीं बढाई जा रही है। इससे हजारों परिवार की संपत्ति पर संकट के बादल छा गए है इनमें अधिकांश मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार है, जिन्होने जिंदगी भर की कमाई से अपने छोटे से घर का सपना पूरा किया और अब लीज नहीं बढने, नामांतरण नहीं होने और निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से एक तरह से उनकी संपत्ति शुन्य जैसी हो गई है। लीज अवधि नहीं बढ़ने से वे अब संपत्ति विक्रय भी नहीं कर पा रहे है। रतलाम शहर में ही ऐसे परिवारो की संख्या हजारों में है,जिन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने के कई वर्ष पूर्व टुकड़ों के प्लाट या उस पर बने मकान खरीदे थे। अपने जीवन भर की पूंजी देकर अपने घर का सपना पूरा करने वाले इन परिवारों को उस समय इस नियम की जानकारी नहीं थी।आज यह सभी परिवार संकट में आ गए हैं और निगम के चक्कर काटने को मजबूर है।नामांतरण नहीं होने और लीज नहीं बढ़ने से ऐसी संपत्ति पर आवश्यकता होने पर बैंक लोन भी नहीं मिल पा रहा है। नवभारत

आवास योजनाएं सवालों के घेरे में

श्री डागा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की संवेदनशील भाजपा सरकार हर परिवार के आवास का सपना पूरा करने के लिए संपत्ति के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार पत्र दे रही है। सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में पूर्व में इस नियम की जानकारी नहीं होने के चलते टुकड़ों के प्लाट पर बने मकान खरीदने वाले और परिवार की संपत्ति के बंटवारे में विभाजित हुए प्लाट पर बने मकान में रहने वाले हजारों परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है क्योंकि इससे सारी योजनाओ पर सवाल खड़े हो रहे है। श्री डागा ने पत्र में सुझाव दिया है कि नई कालोनियां एवं नए सत्र के बाद विक्रय हुए मकानों या प्लाट में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है,लेकिन जिन्होंने इस नियम के सख्ती से लागू होने से पूर्व मकान खरीदे हैं व बंटवारा हुआ है उनके लिए नामांतरण, लीज बढ़ने और भवन निर्माण की अनुमति में छूट मिलना चाहिए उन्होंने पत्र में कहा कि इस नियम के कारण नामांतरण नहीं होने, लीज नहीं बढ़ने, भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं होने से निकायों को राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए नगर निगम चुनाव के पूर्व हजारों लोगों और परिवार और से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

नवभारत 19/10/21

जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र निर्माण का काम लगभग पूरा

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

नगर निगम द्वारा जुलवानिया में श्वान बंध्याकरण केंद्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे लगभग 3 लाख रूपए की लागत से केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निर्माण को गति देकर कार्य समाप्ति की अवस्था पर ला दिया गया है। बंध्याकरण केंद्रों पर शहर के आवारा श्वान लाए जाकर बंध्याकरण किया जाएगा। साथ ही उनमें रेबीज की बीमारी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए टीकाकरण भी किया जाएगा। इससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण होगा, साथ ही डॉग बाइट पर रेबीज बीमारी की संभावना भी नहीं रहेगी। श्वान

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम शहर में आवारा श्वानो द्वारा काटने के संदर्भ में समीक्षा करते हुए कहा कि रतलाम शहर डाग बाइट के मामले में प्रदेश मे द्वितीय स्थान पर है। शहर में 1700 व्यक्तियों को श्वानों द्वारा काटा जा चुका है जो चिन्तनीय है। नगर निगम इस मामले में शीघ्र एक्शन ले। आवारा श्वानों की धरपकड करे। इस कार्य में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करे।

बंध्याकरण केंद्र पर वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट रुप में शहर से सीमित संख्या में श्वान पकड़े जाकर बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहर में लगभग 5000 आवारा श्वान है।

नगर निगम ने टेंडर जारी किया है, टेंडर में 5000 श्वान का बंध्याकरण कार्य टेंडर लेने वाली फर्मों द्वारा किया जाएगा। बंध्याकरण केंद्र पर श्वानों को रखने के लिए 12 कॉटेज बनाए गए हैं जहां श्वानों के लिए खाने तथा पानी की व्यवस्था है, हवा के लिए पंखे भी लगाए गए हैं।

प्रसारण

प्रसारण 19/10/21

बिल्डर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी सीसी रोड, प्रशासन की चली जेसीबी

रतलाम। सरकारी जमीन को रास्ता बताकर नक्शा पास करवाकर और नियम विरीत अनुमतियां लेकर बनाई जा रही द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ सोमवार से कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क को उखाड़ने के लिए नगर निगम की जेसीबी सहित इंजीनियर की टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि राममंदिर के सामने स्थित निर्माणाधीन द्वारका रेजीडेंसी के खिलाफ अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में नोटिस देने के बाद मुद्दा चर्चा का विषय बना था। जिला प्रशासन की ओर से फर्म संचालक को सुनवाई का मौका देने के बाद नगर निगम से जारी अनुमति के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग से जारी नक्शे को लेकर सवाल खड़े हुए। द्वारा रेजीडेंस के बिल्डर द्वारा सीसी करके कब्जाई 15 हजार 276 वर्ग फीट सरकारी जमीन को प्रशासन ने नोटिस के बाद जालियां लगाकर सुरक्षित कर लिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्माण अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग के अधिकारी को नियम विपरित पास नक्शा को अस्वीकृत करने के साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दशहरा पर्व के अवकाश के बाद नियम विपरित सरकारी जमीन पर बनाई सीमेंट कांक्रीट सड़क को उखाड़ने के लिए सुबह से जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब द्वारा रेजीडेंस में निर्माणाधीन बिल्डिंग के अलावा जारी अनुमतियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन्दौर समाचार 19/10/21

ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा

प्रसारण न्यूज़• रतलाम

पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी का पर्व आज हर्षोल्लस के साथ मनाया जाएगा। सुबह फज्र की नमाज के पश्चात ही समाज जन अपने अपने घरों में दरूद फातिहा के साथ कुरान की तिलावत करेंगे और झंडे फहरा कर मिठाई के रूप में तबर्रुक तक्सीम करेंगे। चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार भी पिछले 2 वर्षों की तरह सीरत कमेटी के तत्वाधान में निकाला जाने वाला जुलूस निरस्त कर दिया गया है।

जुलूस को लेकर सोमवार तक प्रदेश शासन से किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई जिस कारण जिला प्रशासन ने भी जुलूस निकालने की अनुमति शहर में प्रदान नहीं की। क़ाज़ी कार्उंसिल मध्य प्रदेश के समस्त क़ाज़ी साहेबान ने अपने-अपने शहरों में ईद मिलादुन्नबी कोरोनावायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए जाने का निर्णय लिया है और प्रदेश के समस्त शहरों में निकले जाने वाले जुलूस वा जलसे निरस्त कर दिए गए हैं और ईद मिलादुन्नबी का पर्व शहरवासी अपने अपने मोहल्ले में ही मनाएंगे ।चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने मिलादुन्नबी के अंवसर पर कोरोनावायरस की गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की इस कारण काजी कार्उंसिल के सभी मेंबर ने अपने-अपने शहरों में निकले जाने वाले जुलूस को स्थगित कर दिया है और यह निर्णय लिया है कि कल सभी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस अपने घर और मोहल्ले में रहकर ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर और मास्क लगाकर मनाएंगे किसी भी प्रकार का सामूहिक जश्न व लंगर इस बार भी स्थगित रहेगा जिन क्षेत्रों में तकरीर का आयोजन किया जा रहा था वह कल समाप्त हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अंवसर पर समाज के युवा मानव सेवा समिति में जाकर रक्तदान करेंगे और सभी नमाजो में कोरोना के संपूर्ण खात्मे के लिए दुआ की जाएगी। चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने समाज जनों को इत्तिला दी है की अफवाहों पर ध्यान ना दें किसी भी प्रकार के जुलूस की जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश के किसी भी शहर मेंकोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

इसलिए किसी भी प्रकार का कोई विधि विरुद्ध कार्य ना करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो और उत्साह का त्यौहार मनाने में बाधा उत्पन्न हो।

प्रसारण

प्रसारण 19/10/21

प्रत्येक वार्ड में हैंड स्प्रे मशीन से कर्मचारियों ने कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ किया

डेंगू तथा वायरल बीमारी को देखते हुए निगम आयुक्त ने दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नगर के नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा 18 अक्टूबर से नवीन कार्यव्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड में एक ही समय में 49 कर्मचारियों द्वारा हैंड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि 1 वार्ड में एक ही समय में एक साथ 49 कर्मचारियों द्वारा हैंड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ किया गया है ताकि नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके।

नवीन कार्य व्यवस्था के तहत सोमवार को वार्ड क्रमांक 1 से 5 त: ्प्रात: 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 6 से 10 तक शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 11 से 15 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 16 से 20 तक शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक, 20 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 21 से 25 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 26 से 30 तक सांय 6 से रात्रि 10 बजे तक, 21 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 31 से 35 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 36 से 40 तक शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक, 22 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 41 से 45 तक प्रात: 6 से 10 व वार्ड क्रमांक 46 से 49 तक शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिदिन कुल 10 वार्ड में एक ही समय में एक साथ 1-1 वार्ड में 49 कर्मचारियों द्वारा हैंड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा तथा पांच दिन पश्चात् इसी क्रम को पुन: दोहराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हैंड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा छिड़काव के कर्मचारी प्रात: व सांयकाल नगर निगम कार्यालय परिसर में एकत्रित होंगे व यहीं से दवा प्राप्त करेंगे इसके पश्चात् कर्मचारियों को बड़े वाहन के माध्यम से कर्तव्य स्थल पर ले जाया जाएगा व कार्य समाप्ति पश्चात पुन: नगर निगम कार्यालय परिसर में लाया जाएगा।

स्वदेश 19/10/21

कचरा फैलाने और स्वच्छता नियम उल्लंघन पर होगा स्पॉट फाइन

रतलाम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थल पर ही जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान का आरंभ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर पर्यावरणीय सुधार और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाना

सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यों में सड़कों एवं गलियों में कचरा फैलाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, खुले में स्नान, खुले में मल-मूत्र विसर्जन और खुले में बर्तन, कपड़े आदि की धुलाई शामिल है।

ठोस अपशिष्ट का एक ही डस्टबिन में एकत्र करना

ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही होगी। ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण न करते हुए एक ही डस्टबिन में एकत्र करने पर व्यक्तिगत श्रेणी, थोक कचरा उत्पादक, नष्ट होने योग्य बायोडिग्रेडेबल कचरा पृथक्कीकरण उचित प्रकार से नहीं देने पर, जैव अनाश्य अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का पृथक्कीकरण न करने, सूखा कचरा अलग न करने, बगीचे और हरे कचरे को खुले में फैकने, खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

व्यावसायिक उपयोग (घरेलू छोड़कर) के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्री अपशिष्ट को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा/खुले में मल-मूत्र, विष्ठा कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना/शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। शास्ति/स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहों द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।

इन्दौर समाचार 19/10/17

प्रमुख मार्गों की होगी रात्रिकालीन सफाई, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगी

सफाई कार्य के लिए दलों का गठन, कर्मचारियों को नियुक्त किया

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नवीन व्यवस्था के तहत शहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य हेतु दलो का गठन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

शहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य व्यवस्था के तहत अम्बेडकर प्रतिमा से मांटेसरी फोरलेन होते हुए फव्वारा चौक तक दांये व बांई ओर की सफाई हेतु शरद खरे, रेलवे अण्डर ब्रीज से फव्वारा चौक, महू रोड बस स्टैण्ड होते हुए न्यू कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु संजय डिंडोरे, कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज से सालाखेड़ी चौराहे तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु देवीलाल शंकर, सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे से दो बत्ती डाट की पुल, न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहे से शहीद चौक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, दो बत्ती चौराहे से स्टेट बैंक कानवेंट स्कूल तिराहा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से खेड़ापति हनुमानजी मंदिर तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु राजेश मेहना, स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा होते हुए महाराजा सज्जनसिंह जी की प्रतिमा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु रामलाल नुरा व महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु अर्जुन गौसर को दल प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक दल में दांई और बांई ओर सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

२१५

राज एक्सप्रेस 19/10/21

कोवैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है - डब्ल्यूएचओ

नई दिल्ली ● 18 अक्टूबर (वा)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सोमवार को कहा कि भारतीय कोविड टीके कोवैक्सीन को 'आपात स्थिति में उपयोग' करने की मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है और इसके पूरी होने के बाद इसे आपात सूची में शामिल कर लिया जाएगा। कोविड टीके कोवैक्सीन की निर्माता भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने टीके को मंजूरी देने के लिए आवश्यक आंकड़े और जानकारी सौंप दी हैं और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ इसका विश्लेषण कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने कंपनी से आज एक और जानकारी मांगी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा- हम इससे अवगत हैं कि बहुत सारे लोग कोवैक्सीन को 'कोविड-19 आपात उपयोग सूची' में शामिल करने की डब्ल्यूएचओ की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए प्रक्रिया में ढील नहीं दे सकते।

13,596 नए मरीज,166 की मौत

देश में कोरोना वायरस की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 13,596 नए मामले दर्ज किए गए और यह आंकड़ा पिछले 230 दिनों में न्यूनतम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,596 नए मामलों की पुष्टि की गई, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 54 लाख 67 हजार 315 हो गया है। इसी दौरान 19,582 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर तीन करोड़ 34 लाख 39 हजार 331 हो गई है। सक्रिय मामले 6152 घटकर एक लाख 89 हजार 694 रह गए हैं। वहीं 166 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,52,290 हो गया है। देश में रिकवरी दर बढ़कर 98.12 फीसदी हो गई है। स्वदेश

स्वदेश 19/10/21

डेंगू : 10 लोगों की जांच हुई, 1 निकला पॉजिटिव

रतलाम | शहर में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को 1 पॉजिटिव सामने आया है। हालांकि, जांच भी कम हुई है, 10 सैंपलों को जांचा गया है।

सोमवार को मिले पॉजिटिव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। जिले में अब तक 402 मामले सामने आ चुके हैं जो अब तक के सर्वाधिक हैं। 2018 में 242 पॉजिटिव सर्वाधिक थे, यह रिकॉर्ड अब टूट गया है। मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि शहर में 30 नवंबर तक लगातार सर्वे किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को आदेश जारी हो गए हैं। अलग-अलग टीमें लार्वा को ढूंढेगी, लार्वा मिलने पर नष्ट किया जाएगा।

दै. भास्कर 19/10/21

एलाइजा जांच की दस रिपोर्ट में डेंगू का एक नया मामला

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में डेंगू के नए लगातार मरीज मिल रहे हैं। सोमवार को भी एलाइजा जांच की 10 रिपोर्ट में डेंगू का नया मरीज मिला। इस साल का कुल मरीजों का आंकड़ा 430 पहुंच गया, इसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज लैब की एलाइजा जांच रिपोर्ट के डेंगू पाजिटिव शामिल हैं।

सोमवार को भी जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, बाल चिकित्सालय और मेडिकल कालेज में एंटीजन किट में पाजिटिव मिले डेंगू के नए मरीज पहुंचे। जितने मरीजों को डिस्चार्ज हो रहे हैं, उतने फिर भर्ती हो रहे हैं। मानव सेवा समिति की ब्लडबैंक से शाम तक 70 से अधिक लोगों ने प्लेटलेट्स प्राप्त कर ली थी और कई लोग कतार में भी थे। सहायक मलेरिया अधिकारी एसएन वसुनिया ने बताया कि सर्वे लगातार चल रहा है और जिस क्षेत्र में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां विशेष सर्वे हो रहा है। 622 घरों के सर्वे में 69 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया।

नईदुनिया 19/10/21

कचरा फैलाने और स्वच्छता नियम उल्लंघन पर होगा स्पॉट फाइन

रतलाम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थल पर ही जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान का आरंभ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर पर्यावरणीय सुधार और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाना

सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यों में सड़कों एवं गलियों में कचरा फैलाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, खुले में स्नान, खुले में मल-मूत्र विसर्जन और खुले में बर्तन, कपड़े आदि की धुलाई शामिल है।

ठोस अपशिष्ट का एक ही डस्टबिन में एकत्र करना

ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही होगी। ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण न करते हुए एक ही डस्टबिन में एकत्र करने पर व्यक्तिगत श्रेणी, थोक कचरा उत्पादक, नष्ट होने योग्य बायोडीग्रेडेबल कचरा पृथक्कीकरण उचित प्रकार से नहीं देने पर, जैव अनाश्य अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का पृथक्कीकरण न करने, सूखा कचरा अलग न करने, बगीचे और हरे कचरे को खुले में फैकने, खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

व्यावसायिक उपयोग (घरेलू छोड़कर) के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्री अपशिष्ट को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा/खुले में मल-मूत्र, विष्ठ कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना/शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। शास्ति/स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहों द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।

इन्दौर समाचार 19/10/17

निगम आयुक्त ने रात्रिकालीन सफाई हेतु दरोगा एवं कर्मचारी नियुक्त किए

रात्री 11 से प्रात: 7 बजे तक होगी सफाई

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नवीन व्यवस्था के तहत षहर के प्रमुख मार्गो की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य हेतु दलों का गठन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

शहर के प्रमुख मार्गो की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य व्यवस्था के तहत अम्बेडकर प्रतिमा से मांटेसरी फोरलेन होते हुए फव्वारा चौक तक दांये व बाई ओर की सफाई हेतु शरद खरे, रेलवे अण्डर ब्रीज से फव्वारा चौक, महू रोड बस स्टैण्ड होते हुए न्यू कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु संजय डिंडोरे, कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज से सालाखेड़ी चौराहे तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु देवीलाल शंकर, सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे से दो बत्ती डाट की पुल, न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहे से शहीद चौक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, दो बत्ती चौराहे से स्टेट बैंक कानवेंट स्कूल तिराहा तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से खेड़ापति हनुमानजी मंदिर तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु राजेश मेहना, स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा होते हुए महाराजा सज्जनसिंह जी की प्रतिमा तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु रामलाल नुरा व महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड तक दाई व बाई ओर की सफाई हेतु अर्जुन गौसर को दल प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक दल में दाई ओर बाई ओर सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

अवन्तिका

अवन्तिका 19/10/21

प्रशासन की कार्रवाई • सोमवार को नगर निगम में हुई बिल्डर जितेंद्र नागल की सुनवाई, 9 मीटर चौड़ा और 220 फीट लंबा पक्का निर्माण उखाड़ा

सरकारी जमीन पर बनी सीसी रोड को निगम अमले ने उखाड़ा

धोखे की द्वारका रेजीडेंसी

- निगम अमले की कार्रवाई सात घंटे चली
- पुलिस प्रकरण की तैयारी, पार्टनर भी नपेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

राम मंदिर के सामने अधूरी पड़ी द्वारका रेजीडेंसी के सामने वाली सरकारी जमीन पर बने सीमेंट कांक्रीट पर सोमवार को निगम के बुलडोजर चले। लगभग सात घंटे चली तोड़फोड़ में नगर निगम की दो जेसीबी ने मल्टी के सामने रास्ता बताकर किया गया 9 मीटर चौड़ा और 220 फीट लंबा पक्का निर्माण उखाड़ दिया गया। इतना ही नहीं द्वारका रेजीडेंसी फर्म की निर्माण अनुमति इस सप्ताह निरस्त हो जाएगी। कार्रवाई शुरू करने के पहले एक मौका और देते हुए हुए सोमवार को निगम कमिश्नर ने बिल्डर जितेंद्र नागल की सुनवाई कर ली है। अनुमति और टीएंडसीपी के नक्शा निरस्त करने के बाद सरकारी अमले ने पुलिस प्रकरण की भी तैयारी कर ली है। इसमें बिल्डर समेत फर्म के सभी 14 पार्टनर लपेटे में आ सकते हैं।

बता दे कि सर्वे नंबर 43/1131 और चेतक ब्रिज के बीच लगभग 15276 वर्गफीट सरकारी जमीन है। द्वारका रेजीडेंसी फर्म ने इसी में से लगभग 8500 वर्गफीट जमीन पर सीसी वर्क करके सड़क बना ली थी। वह भी बिना अनुमति के। शिकायत के बाद जांच करके प्रशासन ने 29 अगस्त को मल्टी के सामने वाली सरकारी जमीन को लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित किया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सोमवार सुबह इंजीनियर राजेंद्र मिश्रा, उपयंत्री मनीष तिवारी सहित पीडब्ल्यूडी का लगभग एक दर्जन अमला दो जेसीबी लेकर रेजीडेंसी पहुंचा। मौका मुआयना करने के बाद चेतक ब्रिज और मल्टी के बीच वाली सरकारी जमीन पर किया गया सीसी वर्क तोड़ना शुरू कर दिया है। सुबह 10.30 बजे से प्रारंभ हुई कार्रवाई शाम 5 बजे तक चली। मंगलवार को मलबा हटाया जाएगा।

चेतक ब्रिज और मल्टी के बीच किया था सीमेंट-कांक्रीट वर्क

द्वारका रेजीडेंसी फर्म द्वारा मल्टी के सामने सरकारी जमीन पर किए गए सीसी वर्क को तोड़ती निगम की जेसीबी।

भास्कर इश्यू

सीसी सड़क भी टूटेगी, लीज नवीकरण की भी होगी जांच

4 सितंबर को प्रकाशित खबर।

15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से होगी वसूली - सीमेंट कांक्रीट सड़क को तोड़ने के एवज में नगर निगम द्वारा द्वारका रेजीडेंसी फर्म से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से हर्जाना भी वसूला जाएगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया अतिक्रमण तोड़ने में लगे संसाधनों में होने वाले व्यय के तहत नगर निगम द्वारा नोटिस देकर प्रति घंटे के मान से राशि वसूल की जाएगी।

दे. भास्कर 19/10/21

निगम आयुक्त ने रात्रिकालीन सफाई हेतु दरोगा एवं कर्मचारी नियुक्त किए

रात्री 11 से प्रात: 7 बजे तक होगी सफाई

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नवीन व्यवस्था के तहत पहर के प्रमुख मार्गो की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य हेतु दलों का गठन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

शहर के प्रमुख मार्गो की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य व्यवस्था के तहत अम्बेडकर प्रतिमा से मटिसरी फोरलेन होते हुए फव्वारा चौक तक दांये व बांई ओर की सफाई हेतु शरद खरे, रेलवे अण्डर ब्रीज से फव्वारा चौक, महू रोड बस स्टैण्ड होते हुए न्यू कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु संजय डिंडोरे, कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज से सालाखेड़ी चौराहे तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु देवीलाल शंकर, सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे से दो बत्ती डाट की पुल, न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहे से शहीद चौक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, दो बत्ती चौराहे से स्टेट बैंक कानवेंट स्कूल तिराहा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से खेड़ापति हनुमानजी मंदिर तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु राजेश मेहना, स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा होते हुए महाराजा सज्जनसिंह जी की प्रतिमा तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु रामलाल नुरा व महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड तक दांई व बांई ओर की सफाई हेतु अर्जुन गौसर को दल प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक दल में दांई ओर बांई ओर सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

अवन्तिका

अवन्तिका 19/10/21